

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/7039-44

दिनांक- 04.11.2022

--: आदेश :-

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत लोकार्थित एवं प्रशासनिक कारणों से निर्देशानुसार निम्नांकित नर्स/कम्पाउण्डर सर्वग के कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके माम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल पभाव से किया जाता है-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	सुनील कुमार शर्मा	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष., फिरगारी, तह. लारुनू, नागौर स्थानान्तरणाधीन अजीतगढ़, सीकर	ब्लॉक आयुष चिकित्सालय अजीतगढ़, सीकर में रामसरूप कुलदीप के स्थान पर
2	रामसरूप कुलदीप	Homo Nurse/Comp	ब्लॉक आयुष चिकित्सालय अजीतगढ़, सीकर	राज. होम्यो. औष. फिरगारी, तह. लारुनू, नागौर में सुनील कुमार शर्मा के स्थान पर
3	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष., बहरोड, अलवर	राज. ब्लॉक आयुष चिकि., बहरोड अलवर रिक्त पद पर
4	राजेश कुमार डोडिया	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. चिकि., जिला मुख्यालय बांसवाडा	राज. होम्यो. चिकि., पुनवास कॉलोनी सागवाड़ा, डूंगरपुर में कन्हैयालाल पारगी के स्थान पर
5	कन्हैयालाल पारगी	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. चिकि., पुनवास कॉलोनी सागवाड़ा, डूंगरपुर	राज. होम्यो. चिकि., बेंडसा, ब्लॉक सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर में रिक्त पद पर
6	किशोर कुमार	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष., सेवा दूद, जयपुर	राज. होम्यो. औष., चौकडी तोपखानादेश, जयपुर में रिक्त पद पर
7	सत्यप्रकाश ज्ञानी	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष., चूरू शहर	राज. आयुष ब्लॉक चिकि. तारानगर के रिक्त पद पर

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक

क्रमांक-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/7039-44

दिनांक- 04.11.2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुष मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
5. संबन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी./ जिला अस्पताल
6. संबन्धित, नर्स/कम्पाउण्डर को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी कार्मिक/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
7. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश/विधि /सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यिकी शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक